**भारत सरकार** **लोक सभा**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 2896**
**(वाणिज्य विभाग)**

**दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**प्याज का निर्यात**

**2896. श्री अनूप संजय धोत्रे:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात के संबंध में कोई नीति तैयार की है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में प्याज की कीमतों पर इस नीति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और
(घ) इसके परिणामस्वरूप किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

**(क) एवं (ख):** प्याज के निर्यात से संबंधित विस्तृत नीति आइटीसी (एचएस) की अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 07 में दी गई है, और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के पोर्टल https://www.dgft.gov.in/CP/index.jsp?opt=itchs-import-export पर उपलब्ध है। मौजूदा निर्यात नीति में प्याज का निर्यात "मुक्त" है।

**(ग) एवं (घ):** सरकार की नीतिगत मध्यस्थाओं का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्यों पर घरेलू उपलब्धता बनाए रखते हुए किसानों के लिए उचित और लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करना है। ये मध्यस्थाएं मज़बूरी में बिक्री के जोखिम को कम और बेहतर कीमत दिलाने में सहायता करके किसानों के हितों की रक्षा करती हैं।

*****